न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

पीठासन अधिकारी श्री विवेक व्यास आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :– 120/21

प्रार्थी :–

1. अर्जुनराम पुत्र अचलाराम कौम जाट साकिन माडपुरा
2. कोशलाराम पुत्र भेराराम कौम जाट साकिन माडपुरा हाल –हिम्मताणी भांभुओं की ढाणी, तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर (राज)

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. पूराराम पुत्र बनाराम जाति जाट
2. सुखराम वल्द स्व. अखारामजी जाति जाट (चौधरी) साकिन माडपुरा हाल – हिम्मताणी भांमूओ की ढाणी तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उपस्थित :– 1 श्री लाधुराम चौधरी वकील प्रार्थीगण
2 श्री सुनील पारीक वकील विप्रार्थीगण

आदेश दिनांक :–23.1.2023

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 878/3 रकबा 50 बीघा व खसरा संख्या 876/3 रकबा 50 बीघा सरहद मौजा हिम्मताणी भांभूओ की ढाणी तहसील कल्याणपुर जिला बाडमेर मे अवस्थित है । प्रार्थीगण के उक्त खेत खसरा मे कृषि प्रयोजनार्थ आवागमन हेतु मुख्य डामर सडक जोधपुर–पचपदरा तक विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 875/3 व खसरा संख्या 877/3 में परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये गये हिस्से ए से बी बरंग लाल,अनुसार 30 फीट चौडा रास्ता घोषित कराने का आवेदन प्रस्तुत किया है ।

आवेदन दर्ज कर जरिये रजिर्स्टड नोटिस विप्रार्थीगण को तलब किया गया विप्रार्थीगण जरीये वकील उपस्थित । विप्रार्थी संख्या 1 पूराराम पुत्र बनाराम जाति जाट साकिन माडपुरा हाल 7 हिम्मताणी भांभूओ की ढाणी तहसील कल्याणपुर जिला बाडमेर (राज) की ओर से उक्त मुकदमात –1 खरताराम पुत्र पूराराम जाति जाट निवासी निम्बाणियो की ढाणी 2– पोकरराम पुत्र पूराराम, 3– शेराराम पुत्र पूराराम, 4– टीकमाराम पुत्र पूराराम, 5– उम्मेदाराम पुत्र पूराराम जाति जाट निवासी 2 ता 5 सियागो की ढाणी हाल– हिम्मताणी भांभूओ की ढाणी तहसील पचपदरा जिला बाडमेर की और

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.02.01 15:31:52 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

ने जबाब प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण के द्वारा खसरा संख्या 878/3 रकबा 50 बीघा व खसरा संख्या 876/3 रकबा 50 बीघा भूमि से कृषि कार्य हेतु पचपदरा–जोधपुर डामर सडक तक आवागमन हेतु रास्ता घोषित करने का पेश किया गया है। संलग्न परिशिष्ट 'अ' एवं मौका रिपोर्ट के अनुसार 30 फीट चौडाई एवं पचपदरा जोधपुर रोड से खसरा संख्या 878/3 एवं 876/3 मे आवागमन हेतु खसरा संख्या 875/3 जिसकी खातेदारी हमारे स्व. पिता पूराराम के नाम है, उसमें से जितनी लम्बाई मे जमीन रास्ते हेतु घोषित की जावेगी, उस जमीन के बदले हम विप्रार्थी संख्या 01 पूराराम के कायम मुकाम किसी प्रकार का मुआवजा अथवा रास्ते हेतु घोषित भूमि के बदले भूमि प्राप्त नहीं करना चाहते है, एवं प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता घोषित करवाने हेतु अपनी सहमती देते है । विप्रार्थी संख्या 01 पूराराम का दिनांक 21.05.2021 को स्वर्गवास हो गया है, जिसका मृत्यु प्रमाण–पत्र संलग्न जबाव के साथ प्रस्तुत किया है ।

विप्रार्थी संख्या –02 सुखराम पुत्र [illegible] जाति निवासी सियागो की ढाणी हाल–हिम्मताणी भांभूओ की ढाणी तहसील पचपदरा ने जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के द्वारा खसरा संख्या 878/3 रकबा 50 बीघा व खसरा संख्या 876/3 रकबा 50 बीघा भूमि से कृषि कार्य हेतु पचपदरा–जोधपुर डामर सडक तक आवागमन हेतु रास्ता घोषित करने का पेश किया गया है। संलग्न परिशिष्ट 'अ' एवं मौका रिपोट के अनुसार 30 फीट चौडाई एवं पचपदरा जोधपुर रोड से खसरा संख्या 878/3 एवं 876/3 मे आवागमन हेतु खसरा संख्या 875/3 में आवागमन हेतु खसरा संख्या 877/3 में से जितनी लम्बाई में जमीन रास्ते हेतु घोषित की जावेगी, उस जमीन के बदले मे विप्रार्थी संख्या–2 को किसी प्रकार का मुआवजा प्राप्त नहीं करना चाहता हूं, जमीन के बदले जमीन लेना चाहता हूं, एवं प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता घोषित करवाने हेतु अपनी सहमति देता हूं।

प्रार्थी वकील के आवेदन पत्र के तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार कल्याणपुर से मौका रिपोर्ट तलब की गयी । तहसीलदार कल्याणपुर ने अपने पत्र कंमाक–राजस्व/2023/65 दिनांक 19.01.2023 के संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 3.01.2023 प्रस्तुत की गयी। मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम हिम्मताणियों भाभूओ की ढाणी के खेत खसरा संख्या 878/3, 879/3 मे जाने के लिए खसरा संख्या 875/3 मे से 1–06 बीघा तथा खसरा संख्या 877/3 मे से 1–05 बीघा तथा खसरा संख्या 878/8 मे से 0–01 बीघा व खसरा संख्या

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.02.01 15:31:52 IST
Reason: SelfAttested

76/3 मे से 0–01 बीघा भूमि है तथा उक्त खसरो मे जाने के लिये कटाण रास्ता ग्राम भाडियावास से 200 मीटर मध्य है तथा खसरा संख्या 877/3 एन. एच–25 मे 200 से 500 मीटर पर स्थित है एन.एच –25 तथा कटाण मार्ग के बीच ग्राम भाडियावास के खसरा संख्या 8 की भूमि है ।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी ।

दौराने बहस प्राथीगण वकील की बहस सुनी गयी । प्रार्थीगण वकील ने प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 878/3 रकबा 50 बीघा व खसरा संख्या

876/3 रकबा 50 बीघा सरहद मौजा हिम्मताणी मांभूओ की ढाणी तहसील पचपदरा जिला बाडमेर की भूमि आवागमन हेतु 30 फीट चौडाई रास्ता मुख्य डामर सडक जोधपुर–पचपदरा तक कृषि भूमि उपयोग के आवागमन हेतु विप्रार्थीगण के खसरा संख्या [illegible] खसरा संख्या 877/3 में से प्राप्त करने का निवेदन किया गया । [illegible] के वकील ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि खसरा [illegible] 878/3 रकबा 50 बीघा व खसरा संख्या 876/3 रकबा 50 बीघा भूमि [illegible] कृषि कार्य हेतु पचपदरा–जोधपुर डामर सडक तक आवागमन हेतु रास्ता [illegible] करने का पेश किया गया है। संलग्न परिशिष्ट 'अ' एवं मौका रिपोर्ट के अनुसार 30 फीट चौडाई एवं पचपदरा जोधपुर रोड से खसरा संख्या [illegible] एवं 876/3 मे आवागमन हेतु खसरा संख्या 875/3 में आवागमन हेतु खसरा संख्या 877/3 में से जितनी लम्बाई में जमीन रास्ते हेतु घोषित की जावेगी, उस जमीन के बदले मे विप्रार्थी संख्या–2 को किसी प्रकार का मुआवजा प्राप्त नहीं करना चाहते है, जमीन के बदले जमीन लेना चाहते है, एवं प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता घोषित करवाने हेतु अपनी सहमति के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो विप्रार्थीगण को कोई उज्र एतराज नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.02.01 15:31:52 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य तथा तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट मय नक्शा का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया । बहस पर मनन किया गया । प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता घोषित करवाने हेतु विप्रार्थीगण को कोई उज्र एतराज नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने मे किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं होती है । प्रस्तावित रास्ता एकमात्र विकल्प होना बताया है, जो कि उक्तानुसार रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है ।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर खेत खसरा नम्बर 878/3 रकबा 50 बीघा व खसरा संख्या 876/3 रकबा 50 बीघा सरहद

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

जा हिम्मताणी भांभूओ की ढाणी तहसील पचपदरा जिला बाडमेर विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 875/3 व खसरा संख्या 877/3 में परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये गये हिस्से ए से बी बरंग लाल,अनुसार 30 फीट चौडा रास्ता कृषि प्रयोजनार्थ एवं आवागमन हेतु वि प्रार्थी सेख्या -01 की भूमि मे से रास्ते हेतु भूमि 1-06 बीघा आपसी सहमती से हेतु विप्रार्थी द्वारा रास्ते हेतु भूमि के लिये किसी प्रकार का मुआवजना प्राप्त नही करना चाहता है । विप्रार्थी संख्या -2 सुखराम रास्ता की भूमि 01-05 बीघा भूमि को रास्ते की समायोजित की गयी है उसके बदले प्रार्थीगण की भूमि मे से बराबर-बराबर हिस्से के अनुसार प्रार्थीगण के खातेदारी से कम कर विप्रार्थी संख्या -2 के नाम अमल दरामद कर आपसी सहमती अनुसार रास्ता घोषित किया जाता है । भूमि संव्यहार हेतु पक्षकारान सहमति अनुसार पाबन्द रहेगे । तहसीलदार कल्याणपुर आपसी सहमती अनुसार प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट [illegible] मुाफिक रास्ते की भूमि का राजस्व भूमि का राजस्व रेकर्ड में अमल [illegible] द [illegible] वाही [illegible] । एवं विप्रार्थी संख्या -2 सुखराम रास्ता की भूमि 01 [illegible] बीघा भूमि को रास्ते की समायोजित की गयी है उसके बदले प्रार्थीगण की भूमि [illegible] बराबर-बराबर हिस्से के अनुसार प्रार्थीगण के खातेदारी से कम कर विप्रार्थी संख्या -2 के नाम अमल दरामद की कार्यवाही की जावे ।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 23.01.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.02.01 15:31:52 IST
Reason: SelfAttested